मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
[illegible]

क्रमांक डी-194/2547/87/नि-2/चार, भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उसके परिवार को सहायता ।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2146/नि-2/चार, दिनांक 10.12.82 के अनुसार शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को छः माह के वेतन के बराबर न्यूनतम रुपये 4000/- तथा अधिकतम रुपये 12,000/- की सीमाओं के अध्यधीन अनुग्रह अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है ।

2/- शासकीय कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 1.1.1986 से पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान अनुग्रह अनुदान की राशि की सीमा में वृद्धि के प्रश्न पर राज्य शासन ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाय तो मृतक शासकीय सेवक के परिवार को उसके छः माह के वेतन के बराबर अधिकतम रुपये 15,000/- की सीमा के अध्यधीन अनुग्रह अनुदान के रूप में सहायता दी जाये ।

3/- पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुग्रह अनुदान की गणना के लिये केवल मूलवेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो तो) को ही शामिल किया जायेगा । इसमें महंगाई भत्ते को शामिल नहीं किया जायेगा ।

4/- अनुग्रह अनुदान भुगतान संबंधी अन्य विद्यमान आदेश यथावत् रहेंगे ।

5/- यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जी० के० मुकर्जी)
उप सचिव